प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.07.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया गया।

दिनांक 20.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई जिसमें वादी ने बताया कि उसके मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग पुत्र उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त टिंकू पुत्र फूलसिंह निवासी राधा एन्कलेव, जलालपुर, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले जाना तथा उसके साथ गलत कार्य करना। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा-137(2) बीएनएस व 5K/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त टिंकू उपरोक्त ने पूछताछ में घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वह वादी के पुत्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गया तथा उसके साथ गलत कार्य किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त टिंकू पुत्र फुलसिंह निवासी राधा एन्क्लेव जलालपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.05.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के घर से कहीं चले जाने और वापस ना आने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त विक्की कुमार पुत्र मनोज मंडल निवासी बनकट्टा पोस्ट मोहनपुर थाना रुपौली जिला पुरनिया बिहार हाल पता-गली नं0 3 बी ब्लाक विकास कुंज जमील वाली गली थाना लोनी बॉर्डर उम्र 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 137(2)/64(2)(K) बीएनएस व 5(K)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 21.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विक्की कुमार पुत्र मनोज मंडल निवासी बनकट्टा पोस्ट मोहनपुर थाना रुपौली जिला पुरनिया बिहार हाल पता-गली नं0 3 बी ब्लाक विकास कुंज जमील वाली गली थाना लोनी बॉर्डर उम्र 19 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों की पहले से दोस्ती थी इसके बहाने मैं वादी की पुत्री को बाहर घुमाने ले गया था और मैने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विक्की कुमार पुत्र मनोज मंडल निवासी बनकट्टा पोस्ट मोहनपुर थाना रुपौली जिला पुरनिया बिहार हाल पता-गली नं0 3 बी ब्लाक विकास कुंज जमील वाली गली थाना लोनी बॉर्डर, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.07.2025 को वादी नेमपाल पुत्र जय सिंह निवासी मयूर विहार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण- 1.अभिषेक पुत्र राजेश 2. राजेश पुत्र जय सिंह 3.लोकेश पुत्र राजेश 4.नितिन पुत्र राजेश 5.पुष्पा पत्नी राजेश निवासी मयूर विहार थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा एक राय होकर वादी व वादी की पुत्री, पत्नी व बेटे के साथ मारपीट करना तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा 191(2),191(3), 110,115(2),125,352,351(3) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 21.07.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र राजेश निवासी मयूर विहार थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को कल्लूगढी कट से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग पड़ोस में रहते हैं, गाडी को निकालने को लेकर मेरा अपने चाचा नेमपाल से झगडा हो गया था जिसमें मेरे चाचा को गम्भीर चोट लग गयी थी तथा आपस में गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र राजेश निवासी मयूर विहार थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर एवं कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया गया।

पवित्र श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर एवं कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून-व्यवस्था, जिलाधिकारी गाजियाबाद, पुलिस उपायुक्त नगर/मुख्यालय, सहायक पुलिस आयुक्त कांवड़ सेल एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मन्दिर परिसर एवं मन्दिर मार्ग पर पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों एवं अन्य तकनीकी उपकरणों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर तैयारियों को परखा गया तथा सम्बन्धित अधिराकारी/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाते हुए यात्रियों एवं नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगमता हेतु किये जाने वाले सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर के भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री नारायण गिरि महाराज जी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगमता हेतु मंदिर में की जा रही व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में वार्ता की गई।

आगामी दिनों में मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के दृष्टिगत अधिकारी/कर्मचारीगणों को समयबद्ध सूचना प्रवाह, त्वरित प्रतिक्रिया, तत्परता एवं भीड़ नियंत्रण हेतु विशेष निर्देश दिए गए।